न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– पूनम मीणा (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 176 / 2025
GCMS NO. 2025/437

जयसिंह पुत्र रामकुवार जाति जाट निवासी आर्यनगर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) मो० न० 9928155018

……………..वादी

– ब ना म –

1. बंशीलाल पुत्र रामकुवार जाति जाट निवासी आर्यनगर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)
2. राजपाल पुत्र रामकुवार जाति जाट निवासी आर्यनगर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घरडाना खुर्द जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज०)
4. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा किठाना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज०)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)

……….प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेश यादव	अभिभाषक	वादी
2. श्री अशोक कुमार		
3. श्री महेन्द्रसिंह	अभिभाषक	प्रति. सं. 1, 2

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.09.2025

1. उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय से प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 07.07.2025 को पारित कर तहसीलदार बुहाना को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाद वादी एवं प्रतिवादी [illegible] 2 स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम **आर्यनगर** पटवार हल्का घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2[illegible] के हाल खाता संख्या [illegible] के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 115, 172, 186 / 148, 188 / 153 कुल किता 4 कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

2.37 हेक्टेयर व वाके ग्राम **ठिचौली** पटवार हल्का घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 22 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 01, 176 कुल किता 2 कुल रकबा 3.16 हेक्टेयर को संयुक्त कर उक्त दोनों खाता में वादी के दर्ज हिस्से की भूमि का **अलग** एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दर्ज हिस्से की भूमि का **अलग–अलग** बाहमी बंटवारे के अनुसार तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता सुविधा के अनुसार कायम करते हुये खाता विभाजन कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना को 500/–रू. (पांच सौ मात्र) के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान के जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार व बाहमी बंटवारे के अनुसार तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता सुविधा के अनुसार कायम करते हुये तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30–09–2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05–10–2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र इस न्यायालय में भिजवायें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध प्रस्तावित किया जावे।

2. तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/4000 दिनांक 14.08.2025 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।
3. तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.08.2025 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2025) का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।
4. अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा वादी के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जावे।
5. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जावे।
6. पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.08.2025 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2025) का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार सिंघाना के द्वारा दिनांक 30.07.2025 को पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(राजस्व [illegible]) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा दिनांक 30.07.2025 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श– 'अ–1 से अ–4' व 'ब' ग्राम आर्यनगर व ठिचौली) के अनुसार वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

8. अतः वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.08.2025 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2025) (प्रदर्श– 'अ–1 से अ–4' व 'ब' ग्राम आर्यनगर व ठिचौली) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श– 'अ–1 से अ–4' व 'ब' ग्राम आर्यनगर व ठिचौली) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श– 'ब' के विभाजित भूमि का मौके पर सीमांकन करवायेंगे। ग्राम आर्यनगर के भूमि खसरा नम्बर 115 पर रास्ते हेतु समर्पित रकबा 0.01 हेक्टेयर का नामान्तरकरण संख्या 331 दिनांक 12.08.2025 को स्वीकृत हो चुका है। अतः प्रस्तावित खसरा नम्बर 115/3 रकबा 0.05 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता का रकबा 0.04 हेक्टेयर दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

9. निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:48 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– पूनम मीणा (RAS)

जयसिंह पुत्र रामकुवार जाति जाट निवासी आर्यनगर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) मो० नं० 9928155018

...................वादी

– ब ना म –

1. बंशीलाल पुत्र रामकुवार जाति जाट निवासी आर्यनगर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)
2. राजपाल पुत्र रामकुवार जाति जाट निवासी आर्यनगर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घरडाना खुर्द जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)
4. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा किठाना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– **खाता विभाजन, अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मुकदमा नम्बर :– **176 / 2025**

GCMS NO. 2025/437

निर्णय दिनांक :– **16.09.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:48 IST
Reason: SelfAttested

1. वादी की ओर से **श्री राजेश यादव, श्री अ**[illegible] एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से [illegible] में इस वाद में आज तारीख **16.09.2025** [illegible] उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, [illegible] किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :– "वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.08.2025 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2025) (प्रदर्श– अ–1 से

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

अ–4' व 'ब' ग्राम आर्यनगर व ठिचौंली) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब' ग्राम आर्यनगर व ठिचौंली) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के विभाजित भूमि का मौके पर सीमांकन करवायेंगे। ग्राम आर्यनगर के भूमि खसरा नम्बर 115 पर रास्ते हेतु समर्पित रकबा 0.01 हेक्टेयर का नामान्तरकरण संख्या 331 दिनांक 12.08.2025 को स्वीकृत हो चुका है। अतः प्रस्तावित खसरा नम्बर 115/3 रकबा 0.05 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता का रकबा 0.04 हेक्टेयर दर्ज किया जावे।"

2. खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

3. यह आज तारीख **16.09.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:48 IST
Reason: SelfAttested